International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.00
IJSSER 2024; 6(1): 223-228
www.socialsciencejournals.net
Received: 12-04-2024
Accepted: 14-05-2024

डॉ. उत्कर्ष उपाध्याय
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. उत्कर्ष उपाध्याय
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सुशासन में नागरिक सहभागिता : भारत के संदर्भ में एक सूक्ष्म अध्ययन

डॉ. उत्कर्ष उपाध्याय

DOI: https://doi.org/10.33545/26649845.2024.v6.i1c.118

सारांश
सुशासन के लिए भागीदारी एक अनिवार्य शर्त हैं । हाल के वर्षों में भागीदारी या सहभागिता ने लोक प्रशासन के प्रमुख विषय के रूप में अपनी अलग एवं विशिष्ट पहचान बनाई है । भागीदारी प्रशासनिक गतिविधियों में हर तरह के नागरिक हस्तक्षेप को शामिल करती है । यद्यपि जन भागीदारी तभी सार्थक हो सकती है जब भागीदारी में शामिल नागरिक अपने अधिकारों व उत्तरदायित्व से पूरी तरह वाकिफ हों तथा उन्हें सम्बन्धित कार्ययोजना की पूरी जानकारी हो । भारत में सरकार द्वारा नागरिक सहभागिता के लिए "मेरी सरकार" नामक पोर्टल की शुरुवात करना सरकार का सुशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । जन भागीदारी आम नागरिकों को ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ वह अपनी समस्याओं व जरूरतों व आवश्यकताओं के समर्थन में अपनी सार्थक आवाज बुलंद कर सकता है तथा अपने आप को शासन प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानकर उससे जुड़ा महसूस करता है । प्रशासन में नागरिकों की सहभागिता नागरिकों को सिर्फ मतदान से आगे जाकर अपनी रचनात्मकता व सच्ची नागरिकता को निखारने व संवारने का अवसर प्रदान करती है ।

कूटशब्द: सुशासन, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशित, MY GOV, भ्रष्टाचार आदि

प्रस्तावना
सुशासन मतलब अच्छा शासन जिसमें नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या वर्ग से आते हो या वह किसी भी लिंग के हो, वह बिना किसी भेद-भाव के अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। चाणक्य ने

अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सुशासन के विषय में राजा के गुणों का वर्णन किया है। उनके अनुसार- ''अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी होती है, उसके कल्याण में राजा अपना कल्याण समझता है। जिसमें उसे खुद को खुशी मिलती है, उसे वह अच्छा नहीं समझता। किन्तु जिस किसी भी बात से प्रजा को खुशी होती है, उसे वे उत्तम समझता है।'' आचार्य चाणक्य के ये कथन सुशासन की संकल्पना को परिभाषित करते है। ऐसा शासन जहाँ जनता के कल्याण या सुख को ऊपर रखा जाता है। सुशासन (Good Governance) का अर्थ है शासन की वह प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, न्याय, समावेशिता, और कुशलता जैसे तत्व शामिल होते हैं। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की नीतियाँ और कार्य जनता के सर्वोत्तम हित में होती हैं।

भारत में सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने के लिए नागरिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण घटक है। जब नागरिक सक्रिय रूप से शासन में शामिल होते हैं, तो सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही, और प्रभावशीलता में सुधार होता है।नागरिक सहभागिता सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सरकार और जनता के बीच एक मजबूत और पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, जो शासन को अधिक प्रभावी, न्यायपूर्ण, और समावेशी बनाता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से न केवल सरकार की कार्यक्षमता में सुधार होता है, बल्कि समाज में विश्वास, सहयोग, और न्याय की भावना भी प्रबल होती है।

नागरिक सहभागिता का महत्व

नागरिक सहभागिता का महत्व कई दृष्टिकोणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र की मजबूती, समाज की समृद्धि और शासन की गुणवत्ता में योगदान करते हैं। यहां कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं -

1. लोकतंत्र की मजबूती: नागरिक सहभागिता लोकतंत्र का मूल तत्व है। जब नागरिक अपनी राय और विचार व्यक्त करते हैं, तो सरकार को जनता की वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं का प्रतिबिंब मिलता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अधिक मजबूत और प्रभावी होती हैं ।
2. पारदर्शिता और जवाबदेही: नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से सरकारी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनती हैं। जब नागरिक निर्णय-प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो सरकार को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी आती है।
3. नीति निर्माण में सुधार: नागरिक सहभागिता से नीति निर्माण प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण और अनुभव शामिल होते हैं। इससे नीतियां अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनती हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं।
4. सामाजिक न्याय और समानता: जब सभी नागरिक, विशेषकर हाशिए पर खड़े वर्ग, नीति निर्माण और शासन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो इससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा हो।
5. स्थानीय मुद्दों का समाधान: स्थानीय स्तर पर नागरिक सहभागिता से स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इससे स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को सीधे तौर पर संबोधित करने में मदद मिलती है।
6. विश्वास और सहयोग: नागरिक सहभागिता से शासन और जनता के बीच विश्वास का निर्माण होता है। जब नागरिक शासन में भाग लेते हैं, तो वे सरकार की नीतियों और

कार्यक्रमों के प्रति अधिक सहयोगी और सहायक होते हैं।

7. सतत विकास: पर्यावरणीय, सामाजिक, और आर्थिक मुद्दों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। इससे समुदायों को अधिक टिकाऊ और दीर्घकालिक समाधान निकालने में मदद मिलती है।
8. शिक्षा और जागरूकता: नागरिक सहभागिता से लोगों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इससे एक शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण होता है, जो अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता रखता है।

भारत में नागरिक सहभागिता के उदाहरण:

भारत में नागरिक सहभागिता के कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे जनता की सक्रिय भागीदारी ने सुशासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं

1. स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan): स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखी गई। जनता ने स्वेच्छा से सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई में हिस्सा लिया, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी और भारत को स्वच्छ बनाने में मदद मिली।
2. आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से नागरिक सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम ने पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया है, क्योंकि नागरिक सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं।
3. पंचायती राज संस्थाएं: 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और निर्णय-प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है।
4. जन धन योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नागरिकों ने बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले। इस योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद की।
5. माईगव (MyGov) पोर्टल: माईगव पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफार्म है जहां नागरिक अपनी राय और सुझाव सरकार के साथ साझा कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने नीति निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की है।
6. आधार (Aadhaar) योजना: आधार योजना ने नागरिकों की पहचान को सशक्त बनाया है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचाने में मदद की है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है और सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।
7. लोक अदालतें: लोक अदालतें एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली हैं जहाँ नागरिक अपने छोटे-मोटे विवादों का निपटारा कर सकते हैं। इस प्रणाली ने न्यायपालिका पर दबाव कम किया है और नागरिकों को त्वरित और किफायती न्याय प्राप्त करने में मदद की है।
8. नागरिकों की सक्रियता आपदा प्रबंधन में: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, जैसे कि बाढ़, भूकंप और चक्रवात, नागरिकों ने सक्रिय रूप से राहत और पुनर्वास कार्यों में भाग लिया है। स्वेच्छा से काम करने वाले नागरिकों ने

प्रभावित लोगों की मदद की है और सरकारी प्रयासों को सहयोग दिया है।

चुनौतियाँ

भारत में नागरिक सहभागिता के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियाँ दी गई हैं:

1. जानकारी और जागरूकता का अभाव: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नागरिकों के पास पर्याप्त जानकारी और जागरूकता नहीं होती। इससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं और शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते।
2. शिक्षा और साक्षरता की कमी: निम्न शिक्षा स्तर और साक्षरता दर भी एक बड़ी चुनौती है। जब नागरिक शिक्षित नहीं होते, तो वे शासन की जटिलताओं को समझने और प्रभावी रूप से भाग लेने में असमर्थ होते हैं।
3. भ्रष्टाचार: उच्च स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार नागरिकों के विश्वास को कम करता है। जब नागरिकों को लगता है कि उनके प्रयासों का सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे शासन में भाग लेने से हतोत्साहित होते हैं।
4. संसाधनों की कमी: कई बार नागरिक सहभागिता के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। जैसे कि, समय, धन, और आवश्यक तकनीकी उपकरणों की कमी से नागरिकों की भागीदारी सीमित हो जाती है।
5. सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ: कुछ क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ और परंपराएँ नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्गों को, शासन प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोकती हैं।
6. तकनीकी अवरोध: डिजिटल भागीदारी के युग में, इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता भी एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों की डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी से उनकी भागीदारी सीमित होती है।
7. सरकारी संस्थाओं की अक्षमता: कई बार सरकारी संस्थाएँ नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में विफल रहती हैं। उचित नीतियों और कार्यक्रमों का अभाव भी एक चुनौती है।
8. भाषाई बाधाएँ: भारत में विभिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। कई बार सरकारी सूचनाएँ और दस्तावेज़ केवल हिंदी या अंग्रेजी में होते हैं, जिससे अन्य भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों के लिए जानकारी समझना मुश्किल हो जाता है।
9. राजनीतिक दखलंदाजी: राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक चुनौती है। जब राजनीतिक हित नागरिक सहभागिता के रास्ते में आते हैं, तो वास्तविक और निष्पक्ष भागीदारी कठिन हो जाती है।
10. आर्थिक असमानता: आर्थिक असमानता के कारण गरीब और वंचित वर्ग के लोग शासन में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। वे अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त होते हैं कि शासन में भाग लेने के लिए समय और संसाधन नहीं निकाल पाते।

समाधान

नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कई समाधान अपनाए जा सकते हैं जो विभिन्न चुनौतियों को संबोधित करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख समाधान दिए गए हैं:

1. शिक्षा और जागरूकता अभियान: नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों, कालेजों,

और सामुदायिक केंद्रों में नागरिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

2. सूचना का व्यापक प्रसार: सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नागरिकों को RTI के माध्यम से सरकारी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया सिखाई जानी चाहिए। साथ ही, सरकारी सूचनाओं और नीतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके उन तक पहुंचाना चाहिए।
3. डिजिटल समावेशन: ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से शासन प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
4. सशक्तिकरण और समावेशन: महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, और अन्य हाशिए पर खड़े समुदायों को शासन में शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।
5. भ्रष्टाचार नियंत्रण: भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सख्त कानून और नीतियाँ लागू की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसियों को सशक्त बनाना और नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के साधन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।
6. स्थानीय शासन का सशक्तिकरण: पंचायती राज और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाएँ और नगर सभाएँ नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।
7. सार्वजनिक परामर्श: नीतियों और परियोजनाओं पर निर्णय लेने से पहले सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए। नागरिकों को अपनी राय और सुझाव देने के लिए मंच प्रदान किया जाना चाहिए।
8. सहभागी बजट: नागरिकों को स्थानीय बजट प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। इससे वे यह निर्णय लेने में शामिल हो सकते हैं कि उनके समुदाय में कौन से विकास कार्य किए जाने चाहिए।
9. सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधों को दूर करना: सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को बदलने के लिए जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संगठनों और एनजीओ का सहयोग लिया जा सकता है।
10. उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग: सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।
11. सुधार और सख्ती: भ्रष्टाचार को समाप्त करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सख्त कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन करना।

निष्कर्ष

भारत में सुशासन को मजबूत बनाने के लिए नागरिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षित और जागरूक नागरिक सुशासन के स्तंभ होते हैं, जो न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं।नागरिक सहभागिता सुशासन का एक आवश्यक

घटक है। इसे प्रोत्साहित करने और सुगम बनाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने चाहिए। इससे न केवल शासन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज का निर्माण.

सन्दर्भ

1. https://hindi ki duniya.com
2. https://hi.wikipedia.org.wiki.
3. https://www.civilhindipedia.com
4. https://www.drishtlias.com
5. What is Good Governance? (VNESCAP)
6. Sgi.network.org.sustainable Governance Indicators.
7. चंद्रा लवलेश - "गवर्नेंस का राइट एंगेल", स्टोरी मिरर, मुंबई, 25 April 202
8. जैन डॉ. पुखराज - "पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक", साहित्य भवन, आगरा 2021
9. जैन डॉ. पुखराज - "प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2022
10. शर्मा प्रो. अशोक "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर.बी.एस. पब्लिशर्स, जयपुर, 2016
11. चौपड़ा डॉ. सरोज - "स्थानीय प्रशासन", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000
12. शर्मा प्रो. रविन्द्र - "भारत में स्थानीय प्रशासन", पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2010
13. नागौरी एस.एल. तथा नागौरी कान्ता "भारत के महापुरूष और उसके विचार "सबलाइस पब्लिकेशन", जयपुर, 1999
14. व्यवस्था के दकरते स्तम्भ "मूल प्रश्न" मई-जुलाई, 2010
15. जैन डॉ. पुखराज "भारतीय राज व्यवस्था", साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010